69 T.M
16/1/20

मुख्य वास्तुविद भवन निर्माण विभाग का गोपनीय कोषांग
16 JAN 2020
बिहार, पटना

सं0सं0-10/प्र०गृ०-05/2019/...09...

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु०),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/01/2020

विषय: **वितीय वर्ष 2019-20 में समाज कल्याण प्रक्षेत्राधीन उत्तर रक्षा गृह, पटना एवं बालिका गृह, पटना के परिसर में विद्यमान जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर नवीन भवन के निर्माण कार्य हेतु कुल 5,88,51,917/- (पांच करोड अट्ठासी लाख एकावन हजार नौ सौ सत्रह) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत बालिकाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु पटना जिला में बालिका गृह 'निशांत' संचालित किया जाना है। इसी परिसर में 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों/महिलाओं की देखरेख के लिए उत्तर रक्षा गृह, पटना भी संचालित है।

2. वर्तमान में उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना एवं बालिका गृह 'निशांत' जिस भवन में संचालित हो रहे हैं, वह काफी पुराना एवं जीर्ण-शीर्ष अवस्था में है। अतएव उक्त भवनों के स्थान पर दोनों गृहों के लिए नए भवन के निर्माण की आवश्यकता है।

3. भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-10532(भ) दिनांक-14.12.2019 द्वारा उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना एवं बालिका गृह 'निशांत', पटना के परिसर में विद्यमान जीर्ण-शीर्ष भवन के स्थान पर 100 आवासियो की क्षमतावाले (G+3) नवीन भवन के निर्माण हेतु कुल रूपये 5,88,51,917/- (पॉच करोड़ अठासी लाख एकावन हजार नौ सौ सत्रह) मात्र का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन भेजते हुए प्रशासनिक स्वीकृति की मॉग की गयी है।

4. उक्त के आलोक में भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना एवं बालिका गृह 'निशांत', पटना के परिसर में विद्यमान जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर 100 आवासियों की क्षमतावाले (G+3) नवीन भवन के निर्माण हेतु कुल रूपये 5,88,51,917/- (पॉच करोड़ अठासी लाख एकावन हजार नौ सौ सत्रह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय स्थायी वित समिति से सहमति/स्वीकृति प्राप्त है।

5. वित्तीय वर्ष 2019-20 में मॉग सं0-03 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-051-निर्माण-0104-समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों के निर्माण हेतु कुल रूपये 13,63,00,000/- (तेरह करोड़ तिरसठ लाख) का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध उपलब्ध है।

6. भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना एवं बालिका गृह 'निशांत', पटना के परिसर में विद्यमान जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर 100 आवासियों की क्षमतावाले (G+3) नवीन भवन के निर्माण हेतु कुल रूपये 5,88,51,917/- (पांच करोड़ अट्ठासी लाख एकावन हजार नौ सौ सत्रह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- सं0सं0-10/प्र०गृ०-05/2019/.03./ पटना, दिनांक 15/01/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित विभाग/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सचिव, बिहार अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- सं0सं0-10/प्र०गृ०-05/2019/.03./ पटना, दिनांक 15/01/2020

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वैशवरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना एव सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- सं0सं0-10/प्र०गृ०-05/2019/.03./ पटना, दिनांक 15/01/2020

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।